

प्रेषक :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
बांसवाड़ा (राज.)

प्रेषिति :-

1. न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बांसवाड़ा।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बांसवाड़ा।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष पोक्सो न्यायालय, बांसवाड़ा।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा/कुशलगढ़।
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
7. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़/बागीदौरा।
9. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटोल।
10. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा/बागीदौरा/गढ़ी/ आनन्दपुरी।
11. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
12. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गढ़ी/तलवाड़ा।

विषय :- Regarding framework about training on Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhinyam 2023.

प्रसंग :- माननीय राजस्थान स्टेट ज्युडिशियल एकेडमी, जोधपुर के पत्रांक RSJA/Acy/Trng/2024/432 Dated 05.03.2024 एवं इस कार्यालय के पृष्ठांकन 1790 से 1808 दिनांक 05.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राजस्थान स्टेट ज्युडिशियल एकेडमी, जोधपुर के पत्रांक RSJA/Acy/Trng/2024/432 Dated 05.03.2024 की प्रति इस कार्यालय के पृष्ठांकन द्वारा आपको प्रेषित कर दी गई थी। पत्र में दिए गए निर्देशों की पालना में "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhinyam 2023" के संबंध में दिनांक 15.03.2024 को बांसवाड़ा मुख्यालय पर आयोजित द्वि-मासिक बैठक की समाप्ति के पश्चात् निम्न हस्ताक्षरकर्ता के अवकाशागार में परिचर्चा की गई।

माननीय राजस्थान स्टेट ज्युडिशियल एकेडमी, जोधपुर के उक्त प्रासंगिक पत्र में दिए गए निर्देशों की पालना में "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhinyam 2023" के संबंध में विस्तृत चर्चा हेतु दिनांक 20.03.2024 से 22.03.2024 तक कार्यालय समय पश्चात् 05 पी.एम. से 06 पी.एम. के मध्य में जरिये विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जानी प्रस्तावित है। बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र में पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारीगण उक्त दिनांक को निर्धारित समय पर अपने-अपने अवकाशागार से जरिये विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। दिनांक 20.03.2024 से 22.03.2024 के मध्य होने वाली विडियों कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में निम्नांकित न्यायिक अधिकारी द्वारा Indian Evidence Act के निम्न अध्याय पर व्याख्यान दिया जावेगा :-

क्र.स.	न्यायिक अधिकारी का नाम मय पद	व्याख्यान दिए जाने की दिनांक	अध्याय जिस पर व्याख्यान दिया जावेगा
1.	सुश्री रीतिका श्रोती, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	दिनांक 20.03.2024	<b>PART - I</b> <b>CHAPTER I</b> PRELIMINARY  <b>CHAPTER II</b> OF THE RELEVANCY OF FACTS
		दिनांक 21.03.2024	<b>PART - II</b> <b>CHAPTER III</b> FACTS WHICH NEED NOT BE PROVED
		दिनांक 22.03.2024	<b>PART - II</b> <b>CHAPTER IV</b> OF THE RELEVANCY OF FACTS

विडियों कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित लिंक सभी पीठासीन अधिकारी के वॉट्सएप पर पृथक से प्रेषित कर दी जावेगी।


भवदीय,

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमश : ..... 02

क्रमांक/स्था./२०२५/२०११

प्रतिलिपि सिस्टम असिस्टेंट, जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
बांसवाड़ा (राज.)